प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5811/2007

याचिकाकर्ता :राकेश दत्त भट्ट

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 05.03.2008 को सूचीबद्ध करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5811/2007

याचिकाकर्ता:

राकेश दत्त भट्ट, आत्मज श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट, आयु लगभग 58 वर्ष, पद - सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी,

कार्यालय: संभागीय प्रबंधक, औद्योगिक वृक्षारोपण संभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.रा.व.वि.नि.लि.), शांति नगर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

निवासी- 18, नंदन विहार कॉलोनी, मुंगेली रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, वन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छ.ग.रा.व.वि.नि.लि.), लोकाश

प्लाजा, शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छ.ग.रा.व.वि.नि.लि.), लोकाश प्लाजा, शंकर नगर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

4. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, बिलासपुर (छ.ग.रा.व.वि.नि.लि.) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड बिलासपुर, ओम ज़ोन, शुभम विहार, मुंगेली रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

5. संभागीय प्रबंधक, औद्योगिक वृक्षारोपण संभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, बिलासपुर, (छ.ग.रा.व.वि.नि.लि.), शांति नगर, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका</u>

उपस्थिति :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री विजय के. देशमुख, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थीगण हेतु।

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति।

// आदेश //

(दिनांक 5 मार्च, 2008 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2007 (संलग्नक पी/9) को चुनौती दी है , जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की अधिवार्षिकी आयु दिनांक

30.04.2007 थी और सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का आदेश दिनांक 23.06.2007 (संलग्नक पी/5) दिनांक 23.06.2007 से प्रभावी हुआ था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश/रिट देने की मांग की है कि याचिकाकर्ता को सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के रूप में तब तक पदस्थ रहने दिया जाए जब तक वह अधिवार्षिकी आयु अर्थात 60 वर्ष प्राप्त नहीं कर लेता , और 58 वर्ष के बाद की पूरी अवधि को कर्तव्य पर मानते हुए वेतन के बकाया का संदाय किया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने अधिवार्षिकी की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर प्रत्यर्थी विभाग में सेवा की । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपनी सेवा के दौरान, उसे उत्कृष्टता के कई प्रमाण पत्र, रजत पदक और प्रशंसा प्रदान की गई थी । प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने अधिवार्षिकी पर 58 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद आदेश दिनांक 6.9.2006 (संलग्नक पी/4) द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया । याचिकाकर्ता के साथ अन्य अधिकारियों को भी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता दिनांक 30.04.2007 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया । इस बीच, राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी,

द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रकरण में 62 वर्ष करने का विनिश्चय किया। यह आदेश दिनांक 23.6.2007 (संलग्नक पी/5) से प्रभावी हुआ। अन्य समकक्ष कर्मचारी जो दिनांक 23.6.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, जैसा कि दिनांक 6.9.2006 की सूची (संलग्नक पी/4) के क्रमांक 6 से 28 से स्पष्ट है, उन्हें दिनांक 23.06.2007 (संलग्नक पी/5) के आदेश का लाभ दिया गया क्योंकि उन्होंने उक्त तिथि से पहले अधिवार्षिकी आयु अर्थात 58 वर्ष प्राप्त नहीं की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजय के. देशमुख ने यह तर्क दिया कि यह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति का प्रकरण नहीं है , अपितु अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रकरण है जैसा कि आदेश दिनांक 6.9.2006 (संलग्नक पी/4) में कथित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अन्य कर्मचारी जो 23.06.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी।

4. इस प्रश्न पर कि क्या दिनांक 23.6.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए किसी व्यक्ति को सेवा में बहाल किया गया था, विद्वान अधिवक्ता श्री देशमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी को नहीं।

5. इसके विपरीत, राज्य / प्रत्यर्थीगण के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ए.एस. कछवाहा ने यह तर्क दिया कि यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रकरण नहीं है अपितु यह अधिवार्षिकी आयु अर्थात 58 वर्ष प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति का प्रकरण था, जैसा कि उस समय प्रचलित थी। आदेश दिनांक 6.9.2007 (संलग्नक पी/4) में प्रयुक्त शब्द 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' सेवानिवृत्ति की प्रकृति को निर्धारित नहीं करता है, जैसा कि प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है ।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है, अभिवचनों और उससे संलग्न अभिलेखों का परिशीलन किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था, क्योंकि उस समय अधिवार्षिकी की आयु 58 वर्ष थी। दिनांक 6.9.2007 के आदेश में 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' शब्द के उपयोग का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने वाला पश्चात्वर्ती आदेश दिनांक 23.6.2007 याचिकाकर्ता के लिए किसी काम का नहीं हो सकता है , क्योंकि याचिकाकर्ता दिनांक 23.6.2007 से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था जब अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि लागू हुई थी। इस प्रकार आदेश दिनांक 03.8.2007 पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. आदेश में 'अनिवार्य' शब्द की जांच प्रकरण के तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि आदेश दिनांक 06.09.2006 को पारित किया गया था जो दिनांक 30.04.2007 को प्रभावी हुआ जब याचिकाकर्ता ने 58 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। आदेश की मूल भावना को जानने के लिए इसे प्रकट किया जा सकता है । चंद्र प्रकाश विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य {(2005) 5 एस.सी.सी. 152} के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

> "12.....इसलिए, न्यायालय एक निरापद प्रतीत होने वाले शब्दांकन का आवरण हटाकर आदेश के वास्तविक स्वरुप को देख सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि वह वास्तव में उतना ही निर्दोष है जितना शब्दों से प्रतीत होता है...."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उच्चतम न्यायालय ने म.प्र. विद्युत कर्मचारी संघ विरुद्ध म.प्र. विद्युत मंडल, {(2004) 9 एस.सी.सी. 755} के प्रकरण में , जिसका याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कंडिका 45 का अवलंब लेते हुए उल्लेख किया, विधिक स्थिति स्पष्ट की है । यह इस प्रकार है:

> "45. नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन कार्यपालिक नीति का विषय है और पर्याप्त तथा ठोस कारणों से, वही अनुमेय है"

याचिकाकर्ता ने इस याचिका में आयु वृद्धि के आधारों को चुनौती नहीं दी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तेज बहादुर राम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य {(2006) 7 एस.सी.सी. 660} के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया है। उक्त विनिश्चय इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू

नहीं होता है क्योंकि वह एक ऐसा प्रकरण था जहाँ प्रबंधन ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक व्यक्तिगत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई थी।

9. पूर्वोक्त के आलोक में और यहाँ ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका खारिज की जाती है । वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा ।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**